From,

Alpana Shukla (H.J.S.)
ADJ/Law Officer, Uttar pradesh Human Rights Commission.
ID No:-UP6236

Letter No-481/(SA)/Ma.Aaa./2024
Date — 28/08/2024

To,

Hon'ble Registrar General,
High Court of Judicature at Allahabad.

Through,

Hon'ble Chairman/Member,
Uttar Pradesh Human Rights Commission Lucknow.

Subject: Letter No. 9691/IV-F-82(Penson)/Admin.(A) dated 16-07-2024 of High Court Allahabad

Respected Sir,

In reference to the above subject, it is most humbly submitted that I have been recruited as Civil Judge (Junior Division) in U.P. Judicial Services on 14-06-2006 vide Notification No. 1014 DR(S)/2006 dated 13-06-2006 of Hon'ble High Court, against vacancies advertised by U.P. Public Service Commission vide Advertisement No. A-2/E-1/2003 dated 22-11-2003.

At present, I am covered under the New Pension Scheme (Contributory Pension Fund Scheme) which commenced on 28-03-2005.

In light of G.O. No. 14/2024/SA-3-243/DAS-2024/301(1)/2024 dated 28-06-2024 and G.O. No. 20/2024/SA-3-276(1)/DAS-2024/301(1)/2024 dated 11-07-2024, as I have been recruited against vacancies whose advertisement had been made before 28-03-2005 (the date on which State Government notification for implementation of New Pension Scheme was issued), I intend to exercise my option of being covered under Old Pension Scheme under U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, instead of New Pension Scheme.

I, therefore, kindly request you to place my option of being covered under Old Pension Scheme, under U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, before the Hon'ble Court for kind consideration and necessary orders.

With Regards!

Date: 28 Aug 2024

Yours sincerely

Alpana Shukla.

(Alpana Shukla)
ADJ/Law Officer,
Uttar pradesh Human Rights Commission.
ID No:-UP6236

forwarded
28.08.2024
(Justice Rajiv Lochan Mehrotra)
Member
U.P. Human Rights Commission
Lucknow

Annexure:

01. Option Letter
02. G.O. No. 14/2024/SA-3-243/DAS-2024/301(1)/2024 dated 28-06-2024
03. G.O. No. 20/2024/SA-3-276(1)/DAS-2024/301(1)/2024 dated 11-07-2024
04. Advertisement

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024-301(1)/2024
दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नकः-
विकल्प पत्र

01. **नाम-** अल्पना शुक्ला
02. **वर्तमान पदनाम-** विधि अधिकारी, उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, लखनऊ।
03. **वेतनमान-** **J-5, 144840-194660**
04. **वर्तमान विभाग का नाम-** मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन नियुक्त न्यायिक अधिकारी/न्याय विभाग (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, लखनऊ।)
05. **राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-** उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग)
06. **विज्ञप्ति की तिथि-** 22 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन संख्याः ए-2/ई-1/2003)
07. **विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-**
26-05-2006 (UP Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26-05-2006 & Hon'ble High Court Notification No-1014/DR(S)/2006 dated June 13, 2006)
08. **योगदान की तिथि-** 14 जून, 2006 (न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, शाहजहांपुर।)
09. **जन्म तिथि-** 16-09-1977
10. **सेवानिवृति की तिथि-** 30-09-2037

मैं अल्पना शुक्ला पुत्री श्री राम अवतार शुक्ला पत्नी श्री संदीप गुप्ता, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (√)** में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर- Alpana Shukla.
नाम- अल्पना शुक्ला
पदनाम- अपर जिला जज/विधि अधिकारी,
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग,लखनऊ।
(आई.डी. नं0-UP6236)

घोषणा पत्र

मैं अल्पना शुक्ला पदनाम अपर जिला जज/विधि अधिकारी, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- Alpana Shukla.
नाम- अल्पना शुक्ला
पदनाम- अपर जिला जज/विधि अधिकारी,
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग,लखनऊ।
(आई.डी. नं0-UP6236)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती अल्पना शुक्ला, पदनाम अपर जिला जज/विधि अधिकारी, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (√)** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024 [illegible]

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

4

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मानक का उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की पक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-
ई-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003